

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज०)

मुकदमा
145/2019

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
24.07.2019

निर्णय दिनांक
29.01.2021

उनवान सरकार बनाम दीनाराम पुत्र मुंगाराम जाति मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा
तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज०)

—: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सुलताना अहीरान ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि बाके ग्राम जयसिंहपुरा की राजकीय भूमि ख0न0 244/17 कुल रकबा 10.36 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.02 है0 भूमि पर अतिक्रमी दीनाराम पुत्र मुंगाराम जाति मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा ने अवैध रूप से पक्का मकान निर्माण कर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया। जिसका गहनता से मनन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से पक्का मकान निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.94/- का अतिक्रमण शुदा लगान 0.09 की 50 गुणा जुर्माना राशि 5.00/- बतौर शारित कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा.ले.सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ.सं. 78
पर 5/ की मांग कायम की गई।

(मांगेसम पुनिया)
तहसीलदार
बुहाना (झुन्झुनू) राज०

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
त. जे. गुजाना